अनुबंध-I
(पैराग्राफ 1.4 का संदर्भ)
लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिलों का विवरण दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	राज्य	जिला का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	कडप्पा
2.		अनंतपुरम
3.	असम	कामरूप-ग्रामीण
4.		नागांव
5.		तिनसुकिया
6.		गोलपारा
7.	गुजरात	राजकोट
8.		अमरेली
9.		जामनगर
10.		जूनागढ़
11.		साबरकंठा
12.	हरियाणा	करनाल
13.		रेवाड़ी
14.		यमुना नगर
15.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
16.		कांगड़ा
17.	महाराष्ट्र	अमरावती
18.		अहमदनगर
19.		बीड़
20.		थाणे
21.		यावतमल
22.	ओड़िशा	भद्रक
23.		केन्द्रपाड़ा
24.		सोनपुर
25.		जाजपुर
26.		मयूरभंज
27.	राजस्थान	अलवर
28.		बीकानेर
29.		झालवर
30.		पाली
31.		उदयपुर
32.	तेलंगाना	निजामाबाद
33.		महबूबनगर

अनुबंध-II (क)

(पैराग्राफ 3.3.1 का संदर्भ)

खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान एनएआईएस के आवृत्त का विवरण

मौसम	बीमित किसानों की सं. (लाख में)	बीमित क्षेत्र (लाख हे. में)	(₹ करोड़ में)											लाभार्थी किसानों की सं. (लाख में)
			बीमित राशि	प्रिमियम	कुल सब्सिडी	सब्सिडी में राज्यों का भाग	सब्सिडी में जीओआई का भाग	सूचित किए गए दावे	दावों में एआईसी का भाग	दावों में राज्यों का भाग	दावों में जीओआई का भाग	निष्पादित दावें	देय दावें	
खरीफ 2011	115.55	157.76	23487.11	714.35	52.31	33.47	18.84	1665.42	618.81	523.31	523.31	1665.42	0.00	18.45
रबी 2011-12	52.39	76.09	11283.94	257.68	63.20	56.70	6.50	543.37	223.14	160.11	160.11	542.37	1.00	12.87
कुल	**167.94**	**233.85**	**34771.05**	**972.03**	**115.51**	**90.17**	**25.34**	**2208.79**	**841.95**	**683.42**	**683.42**	**2207.79**	**1.00**	**31.32**
खरीफ 2012	106.49	156.94	27199.06	878.74	108.91	88.24	20.67	2787.00	846.15	970.43	970.43	2785.78	1.22	19.13
रबी 2012-13	61.42	86.91	15710.09	447.61	175.79	166.22	9.57	2108.34	569.46	769.44	769.44	2041.35	66.99	25.55
कुल	**167.91**	**243.85**	**42909.15**	**1326.35**	**284.70**	**254.46**	**30.24**	**4895.34**	**1415.61**	**1739.87**	**1739.87**	**4827.13**	**68.21**	**44.68**
खरीफ 2013	97.46	142.32	29004.69	977.72	156.39	133.90	22.49	3261.67	630.54	1315.56	1315.56	3099.61	162.06	27.95
रबी 2013-14	39.74	64.76	12549.45	297.48	93.59	86.47	7.12	1047.50	332.47	357.51	357.51	1047.48	0.02	9.96
कुल	**137.20**	**207.08**	**41554.14**	**1275.20**	**249.98**	**220.37**	**29.61**	**4309.17**	**963.01**	**1673.07**	**1673.07**	**4147.09**	**162.08**	**37.91**
खरीफ 2014	96.84	115.48	24389.12	844.71	60.07	40.29	19.78	2946.19	1164.29	890.95	890.95	2920.31	25.88	43.46
रबी 2014-15	70.10	92.77	21512.54	553.87	183.53	164.47	19.06	1277.00	328.81	474.09	474.09	395.60	881.40	19.89
कुल	**166.94**	**208.25**	**45901.66**	**1398.58**	**243.60**	**204.76**	**38.84**	**4223.19**	**1493.10**	**1365.04**	**1365.04**	**3315.91**	**907.28**	**63.35**

खरीफ 2015	206.52	216.89	51951.13	1809.50	294.51	198.12	96.38	12772.91	1707.73	5532.59	5532.59	6936.62	5836.29	118.98
रबी 2015-16	94.95	103.89	24936.48	667.15	222.20	198.36	23.84	35.16	33.90	0.63	0.63	0.00	35.16	0.06
कुल	**301.47**	**320.78**	**76887.61**	**2476.65**	**516.71**	**396.48**	**120.22**	**12808.07**	**1741.63**	**5533.22**	**5533.22**	**6936.62**	5871.45	**119.04**
कुल योग	**941.46**	**1213.81**	**242023.61**	**7448.81**	**1410.50**	**1166.24**	**244.25**	**28444.56**	**6455.30**	**10994.62**	**10994.62**	**21434.54**	**7010.02**	**296.30**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-II (ख)

(पैराग्राफ 3.3.1 का संदर्भ)

खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान एमएनएआईएस के आवृत्त का विवरण

मौसम	बीमित किसान (लाख में)	बीमित क्षेत्र (लाख हे. में)	(₹ करोड़ में)							लाभार्थी किसान (लाख में)
			बीमित राशि	किसानों का प्रिमियम	प्रिमियम में जीओआई सब्सिडी	राज्य सरकारों की प्रिमियम सब्सिडी	कुल प्रिमियम	देय दावें	प्रदत्त दावें	
खरीफ 2011	4.58	6.66	1345.89	50.11	35.52	36.14	121.77	96.10	96.10	1.00
रबी 2011-12	7.55	7.07	2010.08	67.82	45.05	52.34	165.2	84.44	83.41	1.23
कुल	**12.13**	**13.73**	**3355.97**	**117.93**	**80.57**	**88.48**	**286.97**	**180.54**	**179.51**	**2.23**
खरीफ 2012	20.62	22.39	4896.94	220.34	172.01	172.01	564.36	623.25	622.89	6.05
रबी 2012-13	9.49	7.42	2077.15	75.02	52.17	62.11	189.3	53.47	53.23	1.13
कुल	**30.11**	**29.81**	**6974.09**	**295.36**	**224.18**	**234.12**	**753.66**	**676.72**	**676.12**	**7.18**
खरीफ 2013	23.61	22.74	5825.83	255.07	197.66	197.66	650.38	856.91	816.1	9.63
रबी 2013-14	29.97	32.53	6406.54	208.24	107.91	118.65	434.81	540.11	528.12	8.11
कुल	**53.58**	**55.27**	**12232.37**	**463.31**	**305.57**	**316.31**	**1085.19**	**1397.02**	**1344.22**	**17.74**
खरीफ 2014	58.96	70	9481.77	342.14	279.64	306.24	928.02	629.84	600.2	15.48
रबी 2014-15	32.05	35.53	9105.28	273.93	113.49	113.87	501.3	887.38	814.97	14.20

कुल	**91.01**	**105.53**	**18587.05**	**616.07**	**393.13**	**420.11**	**1429.32**	**1517.22**	**1415.17**	**29.68**
खरीफ 2015	48.11	55.31	8265.3	336.46	237.81	238.09	812.35	1090.47	1028.51	23.87
रबी 2015-16	36.78	34.62	11577.99	301.25	133.35	133.35	567.94	123.93	9.92	1.98
कुल	**84.89**	**89.93**	**19843.29**	**637.71**	**371.16**	**371.44**	**1380.29**	**1214.40**	**1038.43**	**25.85**
कुल योग	**271.72**	**294.27**	**60992.77**	**2130.38**	**1374.61**	**1430.46**	**4935.43**	**4985.90**	**4653.45**	**82.68**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-II (ग)

(पैराग्राफ 3.3.1 का संदर्भ)

खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत आवृत्त का विवरण

मौसम	बीमित किसान (लाख में)	बीमित क्षेत्र (लाख हे. में)	(₹ करोड़ में)							लाभार्थी किसान (लाख में)
			बीमित राशि	किसानों का प्रिमियम	जीओआई प्रिमियम (भाग)	राज्य सरकार प्रिमियम (भाग)	कुल प्रिमियम	देय दावें	प्रदत्त दावें	
खरीफ 2011	69.05	97.86	10351.62	331.67	349.03	349.03	1029.73	425.88	425.08	35.98
रबी 2011-12	47.66	59.45	9858.46	208.42	296.75	309.55	814.72	751.14	666.36	27.32
कुल	**116.71**	**157.31**	**20210.08**	**540.09**	**645.78**	**658.58**	**1844.45**	**1177.02**	**1091.44**	**63.30**
खरीफ 2012	80.08	111.25	12870.53	407.98	443.38	443.38	1294.74	876.81	869.28	67.52
रबी 2012-13	55.91	65.65	10655.46	254.12	334.46	334.46	923.03	1043.82	706.27	40.53
कुल	**135.99**	**176.90**	**23525.99**	**662.10**	**777.84**	**777.84**	**2217.77**	**1920.63**	**1575.55**	**108.05**
खरीफ 2013	88.54	111.72	14623.96	459.14	505.59	505.59	1470.33	1199.59	1157.39	68.71
रबी 2013-14	53.02	53.36	10901.92	512.52	190.91	220.02	923.45	817.09	727.40	37.86
कुल	**141.56**	**165.08**	**25525.88**	**971.66**	**696.50**	**725.61**	**2393.78**	**2016.68**	**1884.79**	**106.57**
खरीफ 2014	81.71	96.36	13252.87	695.58	434.51	435.47	1565.55	1237.76	1212.34	67.23
रबी 2014-15	30.80	47.56	4400.37	243.05	156.37	157.02	556.44	804.98	800.76	28.99

कुल	**112.51**	**143.92**	**17653.24**	**938.63**	**590.88**	**592.49**	**2121.99**	**2042.74**	**2013.10**	**96.22**
खरीफ 2015	54.02	63.13	8536.74	448.87	268.61	269.43	986.91	1242.04	1236.58	47.29
रबी 2015-16	29.13	59.32	6434.66	339.77	199.14	199.14	737.06	630.76	229.14	20.56
कुल	**83.15**	**122.45**	**14971.40**	**788.64**	**467.75**	**468.57**	**1723.97**	**1872.80**	**1465.72**	**67.85**
कुल योग	**589.92**	**765.66**	**101886.59**	**3901.12**	**3178.75**	**3223.09**	**10301.96**	**9029.87**	**8030.60**	**441.99**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-III

(पैराग्राफ 3.3.4 का संदर्भ)

गैर ऋणी किसानों की कम आवृत्त

मौसम	एनएआईएस				एमएनएआईएस				डब्ल्यूबीसीआईएस			
	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से ऋणी किसानों की प्रतिशतता	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से ऋणी किसानों की प्रतिशतता	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से ऋणी किसानों की प्रतिशतता
	(आंकड़े लाख में)				(आंकड़े लाख में)				(आंकड़े लाख में)			
खरीफ 2011	85.52	30.03	115.55	25.99	4.30	0.28	4.58	9.78	65.16	3.89	69.05	5.64
रबी 2011-12	38.22	14.17	52.39	27.05	7.20	0.35	7.55	4.58	46.83	0.83	47.66	1.74
खरीफ 2012	85.75	20.74	106.49	19.48	19.50	1.12	20.62	5.44	79.00	1.08	80.08	1.35
रबी 2012-13	42.73	18.69	61.42	30.43	9.42	0.07	9.49	0.74	55.02	0.89	55.91	1.59
खरीफ 2013	78.53	18.94	97.47	19.43	22.81	0.80	23.61	3.38	87.64	0.90	88.54	1.02
रबी 2013-14	34.49	5.24	39.73	13.19	28.96	1.01	29.97	3.37	52.50	0.53	53.03	1.00
खरीफ 2014	51.58	45.26	96.84	46.74	53.28	5.68	58.96	9.64	73.21	8.50	81.71	10.40
रबी 2014-15	54.89	15.21	70.10	21.69	31.80	0.25	32.05	0.79	30.11	0.68	30.79	2.21
खरीफ 2015	109.57	96.95	206.52	46.95	48.11	0.01	48.12	0.01	52.49	1.53	54.02	2.83
रबी 2015-16	74.10	20.85	94.95	21.96	36.77	0.00	36.77	0.01	28.47	0.66	29.13	2.28
कुल योग	**655.38**	**286.08**	**941.46**	**30.39**	**262.15**	**9.57**	**271.72**	**3.59**	**570.43**	**19.49**	**589.92**	**3.31**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-IV

(पैराग्राफ 3.3.5 का संदर्भ)

चयनित नौ राज्यों में गैर-ऋणी किसानों का आवृत्त

मौसम	एनएआईएस				एमएनएआईएस				डब्ल्यूबीसीआईएस			
	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से गैर-ऋणी किसानों की प्रतिशतता	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से गैर-ऋणी किसानों की प्रतिशतता	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से गैर-ऋणी किसानों की प्रतिशतता
	(आंकड़े हजार में)				(आंकड़े हजार में)				(आंकड़े हजार में)			
खरीफ 2011	3,745	2,605	6,349	41.02	124	2	126	5.22	5,703	274	5,977	4.58
रबी 2011-12	632	420	1,052	39.95	297	7	304	2.46	3,015	30	3,045	0.99
खरीफ 2012	3,732	1,444	5,175	27.90	1,214	4	1,218	0.35	6,381	20	6,401	032
रबी 2012-13	430	1,073	1,503	71.41	562	2	564	0.39	3,684	33	3,717	0.88
खरीफ 2013	3,248	1,524	4,773	31.94	1,568	2	1,570	0.13	6,721	10	6,730	0.14
रबी 2013-14	346	258	604	42.76	1,799	0	1,799	0.00	2,811	19	2,829	0.66
खरीफ 2014	2,700	4,525	7,224	62.63	2,718	15	2,733	0.56	3,996	781	4,777	16.34
रबी 2014-15	202	1,116	1,318	84.66	2,274	2	2,276	0.09	2,727	62	2,790	2.24
खरीफ 2015	3,722	8,462	12,185	69.45	3,399	0	3,399	0.00	4,771	148	4,919	3.01
रबी 2015-16	174	3,431	3,606	95.16	2,008	0	2,008	0.00	2,279	52	2,331	2.24
कुल योग	**18,931**	**24,858**	**43,789**	**56.77**	**15,962**	**34**	**15,997**	**0.21**	**42,088**	**1,429**	**43,516**	**3.28**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-V

(पैराग्राफ 3.5 का संदर्भ)

राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचनाओं को जारी करने में विलंब

क्र.सं.	राज्य	योजना	मौसम जब अधिसूचनाएं विलंबित थीं	कुल मौसम जिसके लिए अधिसूचनाएं विलंबित थीं	देरी की सीमा (दिनों में)
1.	आंध्र प्रदेश	एनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, रबी 2014-15, रबी 2015-16 तथा खरीफ 2015	9	12 से101
		एमएनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014 तथा खरीफ 2015	8	30 से 125
		डब्ल्यूबीसीआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16.	10	39 से 101
2.	असम	एनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15 तथा खरीफ 2015.	9	47 से 118
		एमएनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013 तथा रबी 2013-14.	6	63 से 115
		डब्ल्यूबीसीआईएस	रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16.	5	14 से 82
3.	हरियाणा	एनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012,	9	22 से 99

		एस	रबी 2012-13, खरीफ 2013, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16.		
		डब्ल्यूबी सीआईएस	रबी 2011-12, रबी 2012-13, रबी 2013-14, रबी 2014-15 तथा रबी 2015-16.	5	39 से 171
4.	हिमाचल प्रदेश	एनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012 तथा रबी 2012-13	4	68 से 115
		एमएनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, खरीफ 2013 तथा रबी 2013-14.	5	80 से 136
		डब्ल्यूबी सीआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12; खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013 तथा रबी 2013-14	6	84 से 136
5.	गुजरात	एनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	10	17 से 101
		एमएनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12 तथा खरीफ 2012.	3	17 से 59
6.	महाराष्ट्र	एनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	9	5 से 77
		एमएनएआईएस	खरीफ 2011 तथा रबी 2011-12	2	48 से 70

		डब्ल्यूबी सीआईएस	रबी 2011-12, खरीफ 2012, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	8	13 से 70
7.	ओड़िशा	एनएआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	9	54 से 92
		एमएनएआईएस	रबी 2011-12, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14	4	59 से 84
		डब्ल्यूबी सीआईएस	खरीफ 2011 तथा खरीफ 2012	2	92 से 106
8.	राजस्थान	एमएनएआईएस	रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014 तथा रबी 2014-15	7	70 से 98
		डब्ल्यूबी सीआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16.	10	34 से 111
9.	तेलंगाना	एनएआईएस	खरीफ 2014, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	3	40 से 132
		एमएनएआईएस	रबी 2014-15 तथा रबी 2015-16	2	40 से 78
		डब्ल्यूबी सीआईएस	खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	4	40 से 76

अनुबंध-VI

(पैराग्राफ 3.7 का संदर्भ)

फसल कटाई प्रयोगों के संचालन में विसंगतियां

राज्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने 2011-12 से 2015-16 तक प्रतिबंधित बुवाई (जहाँ बुवाई नहीं किया जा सका था) वाले क्षेत्रों के आंकड़े का संग्रह नहीं किया था क्योंकि निदशेक आर्थिक एवं सांख्यिकी से मुख्य परियोजना अधिकारी (सीपीओ) को विशिष्ट आदेश नहीं था। ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में, आईए के लिए ऐसे मामलों में दावों की सीमा तय करना संभव नहीं था।
असम	2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने 32,739 सीसीई का संचालन किया (योजनाबद्ध 39,514 सीसीई के प्रति), परिणामस्वरूप कर्मचारी के अभाव के कारण 6,775 सीसीई (17 *प्रतिशत*) की कमी रही। लेकिन सीसीई संचालन में यह कमी एवाई गणना को प्रभावित करने हेतु बाध्य है तथा तद्नुसार किसानों को देय दावों के परिमाण को प्रभावित कर सका।
गुजरात	2011-12 से 2015-16 मौसम के लिए, एआईसी ने क्षतिपूर्ति हेतु 201 तालुकों पर विचार नहीं किया, क्योंकि सीसीई की न्यूनतम संख्या जैसा एनएआईएस के अंतर्गत निधारित है इन तालुकों में संचालित नहीं की गयी थी।
हरियाणा	एमएनएआईएस (खरीफ मौसम 2013) के लिए करनाल, कैथल, जींद तथा रोहतक जिलों के संबंध में सीसीई का कार्य दो अभिकरणों से आउटसोर्स किया गया था, उन्होंने कृषि निदेशालय को सूचना प्रस्तुत नहीं की, जो सीसीई के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। तद्नुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे कृषि निदेशालय ने सीसीई का संचालन उचित तरीके से किया गया था, को सुनिश्चित किया।
महाराष्ट्र	i. राज्य सरकार ने फॉर्म-1 (सीसीई के लिए भूखंडों के अंकन के लिए) तथा फॉर्म-2 (वास्तविक उत्पादन को दर्ज करने के लिए अर्थात् सीमांकित भूखंडों के लिए फसल उपज) निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि पुसाड़ तालुका (जिला यावतमल) में अभिलिखित फॉर्म-2 में सीमांकित भूखंडों जहां सीसीई संचालित की गयी थी की पहचान करने का विवरण (सर्वेक्षण सं. इत्यादि,), सीसीई संचालन की तिथि, उत्पादन विवरण इत्यादि शामिल नहीं था। यद्यपि, तालुक कार्यालय के अभिलेखों में ये विवरण शामिल थे। तालुक

	कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि विवरण फॉर्म 2 से दर्ज नहीं किए गए थे, लेकिन टेलीफोन पर एकत्रित किए गए थे। इस प्रकार, इस तालुका से संबंधित सीसीई का विवरण संदेहजनक है। ii. जिला कृषि अधिकारियों ने स्वीकार किया कि तीन जिलों (अहमदनगर, बीड़ तथा थाणे) में पर्यवेक्षण कम (2015 के खरीफ मौसम तथा रबी मौसम के लिए 49 *प्रतिशत* से 67 *प्रतिशत* तक) था। तद्नुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे यह सुनिश्चित था कि सीसीई का संचालन उचित तरीके से किया गया था।
ओड़िशा	खरीफ मौसम 2011 के दौरान, ₹289.59 करोड़ की दावा देनदारी के प्रति, जीओआई ने केवल ₹286.83 करोड़ का भुगतान किया क्योंकि सीसीई की अपेक्षित संख्या 106 ग्राम पंचायतों में संचालित नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने ₹2.76 करोड़ के जीओआई भाग का भुगतान किया।
तेलंगाना	i. 2011-12 में, किसानों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, लिंगाला मंडल में मानदण्ड के अनुसार पहले ही संचालित की गई सीसीई के अतिरिक्त विशेष सीसीई संचालित की गई थी। विशेष संचालित सीसीई का परिणाम, यद्यपि, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था तथा किसानों को कोई दावों का भुगतान नहीं किया गया था। यह उदाहरण इन तथ्यों को प्रकाश में लाता है कि सीसीई चयन के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संचालित नहीं की गई थी। ii. राज्य सरकार ने जहाँ 2011-12 से 2015-16 तक प्रतिबंधित बुवाई (जहाँ बुवाई नहीं किया जा सका था) वाले क्षेत्रों के आंकड़े का संग्रह नहीं किया था क्योंकि निदशेक आर्थिक एवं सांख्यिकी से सीपीओ को विशिष्ट आदेश नहीं था। ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में, आईए के लिए ऐसे मामलों में दावों की सीमा तय करना संभव नहीं था।

अनुबंध-VII

(पैराग्राफ 3.10.1 का संदर्भ)

विभिन्न फसल मौसमों के अंतर्गत बोया हुआ क्षेत्र तथा बीमित क्षेत्र का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	फसल वर्ष	मौसम/फसल	जिला	बोया हुआ क्षेत्र	बीमित क्षेत्र	अधिक बीमित क्षेत्र
						(हे. में)	
1.	ओडशा	2011-12	खरीफ (धान)	खुर्दा	95,933	1,02,571	6,638
			रबी (धान)	गंजम	10	219	209
				केन्द्रपाड़ा	2,796	3,064	268
				खुर्दा	868	2396	1,528
		2012-13	रबी (धान)	खुर्दा	921	2,165	1,244
		2014-15	रबी (धान)	भद्रक	5,798	9,232	3,434
				खुर्दा	1,372	2,668	1,296
		2015-16	खरीफ (धान)	बोलंगिर	1,90,829	2,14,267	23,438
				रायगड़ा	50,303	51,619	1,316
2.	आंध्र प्रदेश	2012	रबी (मूंगफली)	अनंतपुरम	7,29,695	9,91,293	2,61,598
		2013			7,28,448	9,25,805	1,97,357
		2014			5,65,751	1,34,663	--
		2015			4,27,625	8,95,808	4,27,625
		2012		कडप्पा	64,574	2,37,648	1,73,074
		2013			59,514	2,21,652	1,62,138
		2014			27,342	37,787	10,445
		2015			50,659	1,93,815	1,43,156
3.	तेलंगाना	2014-15	रबी (धान)	निजामाबाद	56,845	79,326	22,481
		2011-12	रबी (धान)	महबूबनगर	51,242	1,31,162	79,920
		2012-13	खरीफ (धान)		96,928	1,11,697	14,769
		2012-13	रबी (धान)		45,099	64,829	19,730
		2014-15	रबी (धान)		49,468	1,70,230	1,20,762
4.	महाराष्ट्र	2015-16	खरीफ	बीड़	51,397	1,11,614	60,217
		2015-16	खरीफ (मूंग)	अमरावती	16,008	16,116	108
							17,32,751

(स्रोत: संबंधित राज्यों के कृषि विभाग)

अनबंध-VIII

(पैराग्राफ 3.11.2 का संदर्भ)

सभी बीमा योजनाओं के अंतर्गत लंबित दावों को दर्शाती विवरण

(₹ लाख में)

मौसम	एनएआईएस			एमएनआईएस			डब्ल्यूबीसीआईएस		
	सूचित दावे	प्रदत्त दावे	लंबित दावे	सूचित दावे	प्रदत्त दावे	लंबित दावे	सूचित दावे	प्रदत्त दावे	लंबित दावे
खरीफ 2011	1,66,541.78	1,66,541.78	0.00	9,609.97	9,609.97	0.00	42,587.75	42,507.77	79.98
रबी 2011-12	54,337.07	54,237.44	99.63	8,443.56	8,341.01	102.55	75,113.67	66,635.56	8,478.11
कुल	**2,20,878.85**	**2,20,779.22**	**99.63**	**18,053.53**	**17,950.98**	**102.55**	**1,17,701.42**	**1,09,143.33**	**8,558.09**
खरीफ 2012	2,78,699.98	2,78,578.43	121.55	62,324.96	62,289.04	35.92	87,680.53	86,927.72	752.81
रबी 2012-13	2,10,833.53	2,04,134.70	6,698.83	5,346.75	5,322.47	24.28	1,04,382.42	70,626.77	33,755.65
कुल	**4,89,533.51**	**4,82,713.13**	**6,820.38**	**67,671.71**	**67,611.51**	**60.20**	**1,92,062.95**	**1,57,554.49**	**34,508.46**
खरीफ 2013	3,26,167.19	3,09,960.61	16,206.58	85,690.91	81,609.97	4,080.94	1,19,958.66	1,15,739.17	4,219.49
रबी 2013-14	1,04,750.00	1,04,748.00	2.00	54,010.93	52,812.03	1,198.90	81,709.34	72,739.76	8,969.58
कुल	**4,30,917.19**	**4,14,708.61**	**16,208.58**	**1,39,701.84**	**1,34,422.00**	**5,279.84**	**2,01,668.00**	**1,88,478.93**	**13,189.07**
खरीफ 2014	2,94,619.00	2,92,031.00	2,588.00	62,983.79	60,019.94	2,963.85	1,23,775.97	1,21,234.10	2,541.87
रबी 2014-15	1,27,700.00	39,560.00	88,140.00	88,737.95	81,497.54	7,240.41	80,498.31	80,076.15	422.16
कुल	**4,22,319.00**	**3,31,591.00**	**90,728.00**	**1,51,721.74**	**1,41,517.48**	**10,204.26**	**2,04,274.28**	**2,01,310.25**	**2,964.03**
खरीफ 2015	12,77,291.00	6,93,662.00	5,83,629.00	1,09,046.81	1,02,851.15	6,195.66	1,24,204.26	1,23,657.57	546.69
रबी 2015-16	3,516.00	0.00	3,516.00	12,393.16	991.64	11,401.52	63,075.80	22,913.93	40,161.87
कुल	**12,80,807.00**	**6,93,662.00**	**5,87,145.00**	**1,21,439.97**	**1,03,842.79**	**17,597.18**	**1,87,280.06**	**1,46,571.50**	**40,708.56**
कुल योग	**28,44,455.55**	**21,43,453.96**	**7,01,001.59**	**4,98,588.79**	**4,65,344.76**	**33,244.03**	**9,02,986.71**	**8,03,058.50**	**99,928.21**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-IX
(पैराग्राफ 3.12 का संदर्भ)

बैंकों/एफआई के निष्पादन में कमियां

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	गुजरात	*(i)* खरीफ मौसम 2011 से खरीफ मौसम 2015 के दौरान, पाँच जिलों के 10 तालुकों में स्थित 14 बैंक शाखाओं/एफआई ने लाभार्थी किसानों के खातों में ₹57.07 करोड़ के दावों को 1 से लेकर 163 दिनों तक के विलंब के साथ जमा किया जिसके चलते एनएआईएस के अंतर्गत समय पर क्षतिपूर्ति के उद्देश्य को पछाड़ा। *(ii)* लेखापरीक्षा के नमूना-जांच में प्रकट हुआ कि खरीफ मौसम 2011 से खरीफ मौसम 2015 के दौरान, साबरकंठा एवं जामनगर जिला में स्थित साबरकंठा जिला क्रेडिट सहकारी बैंक (दावा राशि: ₹8.66 करोड़) तथा भारतीय स्टेट बैंक (दावा राशि: ₹70.25 करोड़) ने दावा राशियों को लाभार्थी किसानों के खाते में इसके उत्तरवर्ती जमा हेतु 2 से लेकर 72 दिनों तक के विलंब के साथ अपने शाखाओं/पीएसी में प्रेषित किया। *(iii)* चयनित जिलों यथा अमरेली, जूनागढ़, जामनगर, राजकोट तथा साबरकंठा में बैंक शाखाओं/पीएसीएस के जांच में प्रकट हुआ कि किसानों को भुगतान की गयी दावा राशि को पहले उनके लंबित फसल ऋण के प्रति समायोजित किया गया था यद्यपि योजना में यह विशेष उल्लेख नहीं है कि ऐसे समायोजन किया जा सकेगा। *(iv)* जामनगर जिला में रंजीत रोड़ तथा जूनागढ़ में सर्किल चौक में भारतीय स्टेट बैंक (नोडल बैंक शाखाएं) ने अपने संवितरण शाखाओं को रबी मौसम 2012-13 तथा खरीफ मौसम 2015 के लिए दावों के रूप में एआईसी से प्राप्त ₹173.22 करोड़ के प्रति ₹173.15 करोड़ प्रेषित किया। *(v)* 2011-12 से 2015-16 के दौरान, अधिसूचित क्षेत्र/फसल को प्रविष्ट करने में बैंको की ओर से चूकों के चार मामले को संयुक्त सचिव, डीएसी&एफडब्ल्यू की अध्यक्षता में एक समिति के सामने प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एनएआईएस ने बैंकों द्वारा ही

		इस तरह के सभी दावों की प्रतिपूर्ति करने के लिए निर्धारित किया था, समिति ने इस शर्त के साथ ₹36.96 की राशि के दावों के भुगतान की अनुशंसा की (अप्रैल 2011 से मार्च 2014) कि एआईसी/राज्य सरकार भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए बैंकों को एक उचित चेतावनी पत्र जारी करे। ऐसे दावों का वित्तीय भार अंतिम रूप से जीओआई/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। अतिरिक्त दावों का वित्तीय भार लिए जाने के कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे।
2.	हरियाणा	*(i)* तीन जिलों में (करनाल, यमुनानगर तथा रेवाड़ी), चार बीमा कंपनियों (एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एआईसी एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि उन्होंने 2006 किसानों से संबंधित ₹17.97 लाख के दावों को पाँच बैंकों को जारी कर दिया है लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा पूछताछ करने पर, बैंकों ने कहा था कि उन्हें बीमा कंपनियों से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी बिना उनकी गलती के लिए क्षतिपूर्ति दावों के लाभ से वंचित रहे। *(ii)* हरियाणा राज्य सहकारी बैंक, करनाल ने 2011-15 के दौरान ऋणी किसानों से बीमा प्रिमियम नहीं काटा इसका परिणाम जिले में ऋणी किसानों की आवृति के अस्वीकार में हुआ। *(iii)* रबी मौसम 2012-13 से खरीफ मौसम 2013 से संबंधित 815 लाभार्थी किसानों के विवरण के अभाव में यमुनानगर जिले के रादौर तथा बिलासपुर प्रखंड एवं करनाल जिले के निलोखरी प्रखंड में चार बैंकों के पास ₹13.44 लाख की राशि अवितरित पडी थी। *(iv)* यमुनानगर जिले के दो प्रखंडों में, आईए (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ने डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत 9,187 लाभार्थी किसानों के संबंध में ₹106.63 लाख की दावा राशि को अवमुक्त किया। यद्यपि, बैंको ने (पीएनबी, केन्द्रीय सहकारी बैंक-बिलासपुर, केन्द्रीय सहकारी बैंक-पाबनी कपलां) ने किसानों को ₹80.01 लाख अवितरित छोड़कर 6,229 किसानों को केवल ₹26.62 लाख जमा किए। *(v)* चार बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2013-14 के दौरान 7,026 किसानों को

		शामिल करते हुए ₹119.84 लाख की दावा राशि को चयनित प्रखंडों में 22 बैंक शाखाओं को अवमुक्त किया गया था, लेकिन इन बैंको द्वारा लाभार्थियों को उनके वितरण से संबंधित विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी (सितम्बर 2016)। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि इन दावों को लाभार्थियों को वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है या नहीं। लेखापरीक्षा कॉर्पोरेशन बैंक, इंद्री तथा विजया बैंक, इंद्री का पता नहीं लगा सका जिसे इन बीमा कंपनियों द्वारा क्रमशः ₹31,393 तथा ₹11,528 की बीमा दावा अवमुक्त की गयी थी।
3.	हिमाचल प्रदेश	2011-16 के दौरान, तीन बैंकों (एसबीआई थियोग, एचपी राज्य सहकारी बैंक, थियोग तथा यूको बैंक, कोटखाई) ने योजना में कही गयी सात दिनों के भीतर की अपेक्षा पंद्रह दिनों के बाद संबंधित लाभार्थियों के खाते में राशि जमा की। बैंकों द्वारा इस विलंब के लिए कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया था।
4.	महाराष्ट्र	*(i)* आईए (एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) द्वारा डब्ल्यूबीसीआईएस 2014-15 मृग बहार मौसम के लिए बीमा दावों को तीन किसानों के लिए इंकार किया गया था क्योंकि बैंक (अमरावती जिला के मोर्सी तालुका में बैंक ऑफ महाराष्ट्र) ने बीमा प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय गलत राजस्व सर्किल को निर्दिष्ट किया था। आईए ने तीनों किसानों के लिए गए ₹21,060 के बीमा प्रिमियम को वापस नहीं किया था। बैंक के शाखा प्रबंधक ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि मामले को बीमा कंपनी के साथ उठाया गया था लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। उपरोक्त तीनों मामलों में जीओआई तथा राज्य सरकार प्राप्त सब्सिडी यदि कोई है का विवरण उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार से, जिला अमरावती के लेहगांव तालुका में भारतीय स्टेट बैंक ने चार किसानों (डब्ल्यूबीसीआईएस 2012-13 अम्बिया बहार मौसम के लिए) के संबंध में गलत राजस्व सर्किलों का उल्लेख करते हुए गलत उद्घोषणा प्रस्तुत की जिसके कारण बीमा कंपनियों ने बीमा दावों के भुगतान के लिए इन उद्घोषणाओं पर विचार नहीं किया। शाखा प्रबंधन ने कहा कि इनके नोडल प्वाईंट को संशोधित उद्घोषणा फॉर्म में प्रस्तुत किया गया था लेकिन बीमा लाभों उपलब्ध कराने कि लिए विचार नहीं किया गया था।

		(ii) यावतमल जिला केन्द्रीय सहकारी (वाईडीसीसी) बैंक ने डब्ल्यूबीसीआईएस खरीफ मौसम 2014 के लिए आईए को बीमा प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय नेर तालुका में दो राजस्व सर्किलों (मालखेड एवं मोझर) के संबंध में बीमित क्षेत्र से कम क्षेत्र निर्दिष्ट किया था। बैंक द्वारा दी गयी इस गलत सूचना के परिणामस्वरूप, किसानों ने वास्तविक बीमा दावों से कम ₹1.90 लाख तथा ₹3.52 लाख की राशि प्राप्त की। *(iii)* बीमा दावों की राशि को किसानों के खातों में 49 महीनों तक के विलंब से जमा किया गया था। *(iv)* बीड जिला केन्द्रीय सहकारी (बीडीसीसी) बैंक, नोडल प्वाईंट, ने एनएआईएस (खरीफ मौसम 2014) के अंतर्गत दावों का भुगतान करने के लिए ₹251 करोड़ की राशि प्राप्त की (जून 2015)। यद्यपि, बैंक ने किसानों के खाते को दावा राशि के जमा को प्रमाणित करते हुए यूसी प्रस्तुत किया (अक्तूबर 2015), ₹9.07 लाख की राशि इनके दो शाखाओं (धर्मापुरी एवं पार्ली) में अवितरित पडी थी। इसी प्रकार से, बीडीसीसी, मजलगांव के एक अन्य शाखा (मार्केट यार्ड) ने एनएआईएस (खरीफ मौसम 2015) के अंतर्गत दावों को किसानों के खातों में ₹3.79 करोड़ के जमा को प्रमाणित करते हुए यूसी प्रस्तुत किया (जून 2016) यद्यपि 40 किसानों के संबंध में दावा राशि, अवितरित पड़ी हुई थी।
5.	ओड़िशा	तीन जिलों के छः प्रखंडों के 18 चयनित गांवों में डीसीसीबी द्वारा 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्राप्त ₹307.07 करोड़ के बीमा दावों को किसानों के खातों में जमा करने हेतु शाखाओं को प्रेषित करने में 225 दिनों तक का विलंब था। इन शाखाओं ने किसानों के खातों में बीमा दावों को 249 दिनों तक के विलंब के साथ जमा किया।

6.	राजस्थान	*(i)* रबी मौसम 2013-14 के दौरान, अलवर जिला में भारतीय स्टेट बैंक, अजबपुरा ने सितम्बर 2016 तक 918 किसानों के खाते में ₹4.80 लाख के बीमा दावों को जमा नहीं किया यद्यपि आईए (एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ने मई 2015 तक इन दावों को प्रेषित कर दिया था। *(ii)* उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक ने वटी गांव (उदयपुर जिला के बडगांव प्रखंड) के 16 लाभार्थी किसानों के खातों में खरीफ मौसम 2015 के लिए बीमा दावों को जमा नहीं किया है जबकि इसने अपनी सेवा क्षेत्र के अन्य गांवों में दावों को वितरित किया था। *(iii)* उदयपुर जिला के दो किसानों तथा अलवर जिला के पाँच किसानों ने एक से अधिक बैंक से ₹20,192 बीमा दावा प्राप्त किया जो यह दर्शाता है कि ये बैंक यह सुनिश्चित करने में असफल हुए कि इन किसानों ने अन्य बैंकों/एफआई से उसी फसल के लिए ऋण नहीं लिया है। *(iv)* उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक, उदयपुर ने दो किसानों को जिनके पास कृषि के लिए कोई भूमि नहीं थी ₹64,000 फसल ऋण वितरित किया। बैंक द्वारा इन किसानों को प्रत्येक को ₹41,200 की क्षतिपूर्ति राशि भी वितरित की। जब यह विसंगति नोटिस में आया, ₹2.22 लाख की राशि ब्याज सहित इन दोनों किसानों से वसूली गई थी तथा एआईसी को प्रेषित की गई थी।

अनुबंध-X

(पैराग्राफ 4.6 का संदर्भ)

किसानों से सर्वेक्षण/प्रतिक्रिया का विवरण

राज्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
आंध्र प्रदेश	1,286 किसानों के सर्वेक्षण में (अनंतपुरम में 609 तथा कडप्पा में 677) प्रकट हुआ कि 1,181 ऋणी किसान, 12 गैर-ऋणी किसान तथा 93 बिना बीमा के किसान थे। अधिकांश किसानों (748 किसानों अर्थात् 58 प्रतिशत) के पास बीमा योजना की जानकारी नहीं थी यद्यपि राज्य सरकार द्वारा संचालित जागरूकता अभियान दर्शाता है कि ये अभियान अप्रभावी थे।
असम	चार चयनित जिलों यथा कामरूप (ग्रामीण), नागांव, गोलपारा तथा तिनसुकिया में 630 किसानों के सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि सभी ऋणी किसान उनके किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के प्रति अनिवार्य रूप से बिमित किए गए थे लेकिन वे अपने फसलों के बिमित किए जाने को लेकर अनभिज्ञ थे। श्रमशक्ति के अभाव तथा ऐसी गतिविधियों के लिए निर्धारित निधियों के न होने के कारण किसी भी बैंक तथा निजी बीमा कंपनियों ने कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया।
गुजरात	तीन जिलों के छः तालुकों के 18 गांवों के 540 किसानों के सर्वेक्षण में यह प्रकट हुआ किः *(i)* सभी साक्षात्कार किए गए किसान जमीन के मालिक थे। *(ii)* हालांकि 2011-16 के दौरान सभी पाँच वर्षों में 265 ऋणी किसानों को फसल बीमा के लिए चुना गया था, 231 ऋणी किसानों ने प्रत्येक वर्ष के लिए अपने फसलों को बीमा के लिए नहीं चुना था यद्यपि यह ऋणी किसानों के लिए अपनी फसलों की बीमा करना अनिवार्य था। 17 ऋणी किसानों सहित 44 किसानों ने पाँच वर्षों में किसी में फसल बीमा नहीं चुना था। *(iii)* 44 किसानों में से, जिन्होंने सभी पाँच वर्षों में फसल बीमा नहीं चुना था, 16 किसान न तो एनएआईएस के बारे में न ही बीमा प्रस्तावों की प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथियों के बारे में अवगत थे; 7 किसान पूर्व वर्षों में पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं मिले, 9 प्रिमियम को वहन नहीं कर सके तथा 12 किसानों ने या तो रूचि नहीं ली या बैंक ऋण नहीं लिया था या कोई कारण नहीं बताया था।

	(iv) 231 ऋणी किसानों में से जिन्होंने फसल बीमा नहीं लिया था, 44 किसान पूर्व वर्षों में पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त करने का दावा किया था; 19 किसानों ने ऑनलाईन आवेदन करने में कठिनाईयों का सामना किया था; 153 किसानों ने अपर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने तथा ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन करने में कठिनाई का दावा किया था; 7 किसान प्रिमियम को वहन नहीं कर सके, तथा 8 किसानों ने अपने व्यक्तिगत कारणों से रूचि नहीं ली थी। *(v)* साक्षात्कार लिये गये 540 किसानों में से, 523 किसानों को नई योजना पीएमएफबीवाई के बारे में जानकारी थी। इन 523 किसानों में से, 22 किसान नई योजना में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे।
हरियाणा	छः प्रखंडों के 540 किसानों के सर्वेक्षण (ऋणी-303 तथा गैर-ऋणी-237) में यह प्रकट हुआ कि 529 किसानों को योजनाओं तथा इन योजनाओं के अंतर्गत आवृत्त फसलों के बारे में जानकारी नहीं थी। केवल 88 किसानों नें नई योजना (पीएमएफबीवाई) में रूचि ली थी।
हिमाचल प्रदेश	चार प्रखंडों में किसानों की 272 संख्या के सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि सभी किसानों को जोखिम कवर, प्रिमियम दर, जीओआई तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रिमियम सब्सिडी, प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज, तथा प्रस्तावों की प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथियों के बारे में जानकारी नहीं थी। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार तथा आईए द्वारा किसानों के बीच फसल बीमा योजना की जागरूकता लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।
महाराष्ट्र	पाँच चयनित जिलों के 10 तालुकों के 30 गांवों के 907 किसानों के सर्वेक्षण में यह प्रकट हुआ कि: (क) 907 किसानों में से, 110 किसान (12.13 प्रतिशत) विभिन्न कारणों से बीमा योजना को चुना नहीं था यथा प्रमियम वहन न कर सकना (37 किसान), बैंको का सहायता से इंकार करना (4 किसान), पूर्व मौकों पर पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं किया जाना (22 किसान), प्रासांगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना (7 किसान), एवं अन्य (40 किसान)। (ख) 797 किसानों में से जिन्होंने बीमा योजनाओं को चुना,

	(i) 497 (62 *प्रतिशत*) को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में जानकारी नहीं थी; *(ii)* 189 किसानों (24 *प्रतिशत*) को योजना के अंतर्गत जोखिम कवरेज की जानकारी नहीं थी; *(iii)* 35 किसान (4 *प्रतिशत*) दावा राशि जो उन्होंने प्राप्त किया था से संतुष्ट नहीं थे; *(iv)* 24 किसान (3 *प्रतिशत*) ने कहा कि जंगली जीवों कारण फसलों कि हानि को भी बीमा योजना के अंतर्गत आवृत्त किया जाना चाहिए; *(v)* 16 किसान (2 *प्रतिशत*) ने कहा कि दावा समय पर प्राप्त नहीं हुआ; *(vi)* 6 किसान (एक *प्रतिशत*) ने ईच्छा व्यक्त की कि कवरेज व्यक्तिगत आधार पर होना चाहिए; *(vii)* 5 किसान (एक *प्रतिशत*) ने कहा कि फसल बीमा के लिए भूमि अभिलेखों पर संयुक्त नाम पर भी विचार होना चाहिए।
राजस्थान	पाँच चयनित जिलों के 30 गांवों में 791 किसानों के सर्वेक्षण में (565 ऋणी तथा 226 गैर-ऋणी) यह प्रकट हुआ कि: क) कुल 791 किसानों में से: i. 31.48 *प्रतिशत* ने कहा कि वे फसल बीमा योजनाओं के बारे में जानते थे। ii. 68.52 *प्रतिशत* ने कहा कि वे फसल बीमा योजनाओं के बारे में नहीं जानते थे। ख) कुल 226 गैर-ऋणी किसानों में से: i. 17.26 *प्रतिशत* ने कहा कि प्रिमियम वहनीय नहीं था। ii. 1.77 *प्रतिशत* ने कहा कि बैंक ने बीमा करने से इंकार कर दिया। iii. 2.65 *प्रतिशत* ने कहा कि वास्तविक दावा प्राप्त नहीं हुआ। iv. 4.87 *प्रतिशत* ने कहा कि उनके पास उचित दस्तावेज नहीं थे। v. 73.45 *प्रतिशत* अन्य कारणों को बताया जैसे जानकारी का अभाव, आवश्यक नहीं आदि।

तेलंगाना	1,027 किसानों के सर्वेक्षण (महबूबनगर में 528 तथा निजामाबाद में 499) में पता चला कि 825 ऋणी, 158 गैर-ऋणी तथा 44 किसान जो बिना बीमा के थे। अधिकाश किसानों (835 किसान अर्थात् 81 *प्रतिशत*) के पास बीमा योजनाओं की जानकारी नहीं थी यद्यपि राज्य सरकार द्वारा संचालित जागरूकता अभियान यह दर्शाता है कि ये अभियान अप्रभावी थे।